समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

सन् 2024

ओ.ए. संख्या 1285

श्रीमती नीलम अन्य .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य .....प्रतिवादीगण

इंडेक्स

क्र. संख्या	विवरण / ब्यौरे	
01	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE APPLICANT	1-6
02	शिकायत पत्र दिनांक 09.06.2025 व आख्या दिनांक 26.06.2025	7-11
03	प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2025	12-19
04	अवैध निर्माणों के फोटोग्राफ	20
05	जेडीए द्वारा मौजा-लहरगिर्द का जारी सजरा नक्शा	21
06	जेडीए द्वारा मौजा- मौजा सिमरधा का जारी सजरा नक्शा	22

दिनांक 7.07.2025

आवेदक

7/7/25

(बी.एल. भास्कर)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1285 सन् 2024

श्रीमती नीलम आदि .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य .....प्रतिवादीगण

(ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE APPLICANT)

श्रीमान जी,

आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है:-

1. यह कि आवेदकगण ने उपरोक्त मूल आवेदन उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित "पहुज नदी" के निकट मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 772, 773, 757, 756, 755 आदि को वर्ष 1979 में बनायी गयी झांसी महायोजना-2001 में क्षेत्रीय पार्क विकसित करने हेतु आरक्षित किया गया था। जिसे यथावत झांसी महायोजना 2021 एवं 2031 में आरक्षित किया गया है। उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र में झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा "चार मंजिला वेंडिंग जोन" आदि के कई अवैध निर्माण कराने के साथ साथ बिल्डरों, भू-माफियाओं और स्थानीय विकासकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माणों के संबंध में प्रस्तुत किया था।

2. यह कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी करने का दिनांक 13.11.2024 को आदेश पारित किया था, उक्त आदेश के अनुपालन में आवेदक ने अपने ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादीगण के कार्यालय के ई-मेल पते पर नोटिस भेजकर विधिवत तामील करा दिया है। जो प्रतिपक्षियों को तामील है इसके बावजूद प्रतिपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 6 की ओर से अपना जवाब/ हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। जिसका सेवा शपथ-पत्र माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 04.03.2025 को दाखिल किया गया है।

3. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 6 के द्वारा जानबूझकर हलफनामा दाखिल नहीं करके माननीय न्यायाधिकरण का कीमती समय नष्ट करने के साथ-साथ माननीय

P.T.O. ...2

न्यायाधिकरण की घोर अवज्ञा की जा रही है। उपरोक्त प्रतिपक्षियों के द्वारा हलफनामा दाखिल न होने से प्रकरण की अग्रीम कार्यवाही बाधित हो रही है।

4. यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायाधिकरण के आदेश को पूरा कराने के लिए क्षोभकर्ताओं के विरुद्ध बल प्रयोग हेतु माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्दिष्ट आदेश के बगैर प्रतिपक्षी माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का पालन एवं हलफनामा दाखिल नहीं करेगें।

5. यह कि जेडीए उपाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि के आराजी संख्या का विवरण तथा सुपर इम्पोज सजरा मानचित्र सार्वजनिक नहीं करने और क्षेत्रीय पार्क की भूमि को आवासीय भू-खण्ड के रूप में क्रय-विक्रय कराने और उन भू-खण्डों पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसको लेकर आवेदक ने दिनांक 09.06.2025 को आयुक्त झांसी मण्डल और जिलाधिकारी झांसी को शिकायत संख्या 20016625009828 की थी।

6. यह कि आवेदक की शिकायत संख्या 20016625009828 दिनांक 09.06.2025 के अनुक्रम में प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" डूब क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर मौजा लहरगिर्द के गाटा संख्या/खसरा संख्या/आराजी संख्या का सुपर इम्पोज सजरा मानचित्र (Lahargird Sajra Map Size 1.07 MB, Size Width 1200 Pixels and Height 847 Pixels) कम आयाम का वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जिससे आराजी नंबर काफी धुंधले/अस्पष्ट दिखाई दे रहे है।

जब कि झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा मौजा सिमरधा के गाटा संख्या/खसरा संख्या/आराजी संख्या का सुपर इम्पोज सजरा मानचित्र (Simardha Sajra Map Size 9.91 MB, Width 18707 Pixels and Height 26487 Pixels) आयाम का वेबसाइट पर अपलोड है। जिसमें आराजी नंबर साफ/स्पष्ट दिखाई दे रहे है।

7. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 03.03.2025 को दाखिल हलफनामा के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 08.01.2025 और 25.02.2025 को प्रतिपक्षी संख्या 6 (उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण) से उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि पर किये गये अवैध निर्माणों के संबंध में रिपार्ट मांगी गई थी, जो आज तक दाखिल नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिपक्षी संख्या 6 (उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण) की उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण कराने में पूर्ण संलिप्तता है, जिसके कारण प्रतिपक्षी संख्या 6 जानबूझकर हलफनामा दाखिल नहीं कर रहा है।

P.T.O. ...3

8. यह कि उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण कराने में प्रतिपक्षी संख्या 6 (उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण) की संलिप्तता होने के कारण प्रतिपक्षी संख्या 6 के द्वारा जानबूझकर हलफनामा दाखिल नहीं करके माननीय न्यायाधिकरण का कीमती समय नष्ट करने के साथ-साथ माननीय न्यायाधिकरण की घो अवज्ञा की जा रही है। जिसके कारण प्रकरण की अग्रीम कार्यवाही बाधित हो रही है।

9. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 7 द्वारा जानबूझकर सच्चाई छुपाने के उद्देश्य से मौजा लहरगिर्द वे आराजी संख्या 755,756, 757, 772 एवं 773 के भू-उपयोग के संबंध में झूठा, अपूर्ण अथवा भ्रामक और पथभ्रष्ट हलफनामा दाखिल किया गया है।

10. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 7 द्वारा जानबूझकर सच्चाई छुपाने के उद्देश्य से झांसी महायोजन 2021 एवं 2031 में प्रस्तावित मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 755,756, 757, 77 एवं 773 के भू-उपयोग की जानकारी नहीं दी गई है। जब कि उक्त भूमि आराजी संख्या क भू-उपयोग झांसी महायोजना 2021 एवं 2031 में क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" डूब क्षेत्र है।

11. यह कि झांसी प्रशासन एवं विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की सह प प्रतिपक्षी संख्या 7 और अराजक तत्वों द्वारा उपरोक्त भूमि पर अवैध बोरवेल कराकर उसमें जेट पंप, समरसेबल इत्यादि स्थापित कर भूगर्भ दोहन कर लगातार अनधिकृत/अवैध निर्माण किए जा रहे है।

12. यह कि विपक्षी संख्या 6 ने उपरोक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि प अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे प्रतिपक्षी संख्या 7 और अराजक तत्वों को लाभ पहुंचा के उद्देश्य से क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि के उपरोक्त आराजी नंबर का आज तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया है। और न ही उपरोक्त भूमि वे अनधिकृत/अवैध निर्माणों को रोका एवं हटाया गया है।

जब कि माननीय न्यायाधिकरण, दिल्ली में योजित वाद संख्या-380/2018 पार्व एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारि आदेशों के पालनार्थ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में अधिकारियं को दिशा-निर्देश दिये गये है कि महायोजनाओं में दर्ज हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़

P.T.O. ...4

हरित पट्टिका भूमि स्थित हो, पर होडिंग बोर्ड लगाया जाय तथा समस्त अभिकरणों द्वारा अपनी अपनी बेवसाइट पर भी अपलोड कराया जाय।

13. यह कि झांसी प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर उपरोक्त भूमि के अनाधिकृत/अवैध निर्माणों को रोकने व हटाने के बजाये माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना करते हुए अनाधिकृत/अवैध निर्माण करवाएं जा रहे है और इन अवैध निर्माणों का हाउस टैक्स नंबर जारी कर उन अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़क, सीवरेज इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

जबकि हाल ही में, राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद और अन्य (दिनांक 17.12.2024 को तय, सिविल अपील संख्या 14604/2024) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए व्यापक जनहित में जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिसमें कथित अनधिकृत और अवैध निर्माणों को रोकने/हटाने तथा अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, आदि की रोक लगाने के निर्देश है।

प्रार्थना

अतः विनम्र निवेदन है कि आदेश दिनांक 13.11.2024 का अनुपालन कराने के लिए बल प्रयोग हेतु या अन्य आवश्यक साधनों के प्रयोग हेतु या दंडात्मक कार्यवाही की कृपा करें, क्योंकि प्रतिपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 6 को उक्त आदेश की जानकारी होने एवं नोटिस तामील होने के बावजूद माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल नहीं कर रहे है।

दिनांक 7.07.2025

प्रार्थी 7/7/25

(बी.एल. भास्कर)

इन्द्रा नगर, प्रेम गंज, झांसी उत्तर प्रदेश 284003
ई-मेल- blbhasker770@gmail.com
मो. 7985307216

P.T.O. ...5

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP25047153402069X

e-Stamp

RAJESH KUMARI
ACC Code 14548704
SADAR-JHANSI

Certificate No.	:	IN-UP25047153402069X
Certificate Issued Date	:	07-Jul-2025 12:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14548704/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1454870447744630793520X
Purchased by	:	BRIJLAL BHASKAR SO MANKE BHASKAR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BRIJLAL BHASKAR SO MANKE BHASKAR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	BRIJLAL BHASKAR SO MANKE BHASKAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

DIST. COURT UTTAR PRADESH AFFIDAVIT 2025 0671797

शपथ आयुक्त दीवानी झांसी

IN-UP25047153402069X

Please write or type below this line

समक्ष - मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली
ओ० ए० संख्या 1285 सन् 2024
श्रीमती नीलम आदि बनाम प्रतिवादीगण
कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में शपथपत्र
प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है जो
निम्न है।

शपथकर्ता
बी०एल० भास्कर
7/07/25

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

सन् 2024

ओ.ए. संख्या 1285

श्रीमती नीलम आदि ......आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ......प्रतिवादींगण

शपथ-पत्र

शपथकर्ता मिनजानिव- बी.एल. भास्कर निवासी-इन्द्रा नगर, प्रेम गंज, झांसी उत्तर प्रदेश 284003

मैं बी.एल. भास्कर शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं:-

1. यह कि शपथकर्ता मूल आवेदन में आवेदक संख्या 2 है।
2. यह कि शपथकर्ता ने आवेदक संख्या 1 के साथ मिलकर उपरोक्त मूल आवेदन प्रेषित/दायर किया गया है तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हूं तथा यह शपथ पत्र देने के लिए सक्षम हूं।
3. यह कि प्रस्तुतिकरण की संलग्न विषय-वस्तु सत्य और सही है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूं कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 7.07.2025 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

दिनांक 7.07.2025

शपथकर्ता/आवेदनकर्ता

(बी.एल. भास्कर)

क्रम... 52 ....दिनांक...7.7.25.....
यह शपथ-पत्र मेरे समक्ष तस्दीक एवं हस्ताक्षरित किया
श्री....B. L. भास्कर.........तनय.......
निवासी..... SSI.नगर - झांसी
पहचानकर्ता श्री.......................
समय..........सुबह/शाम दीवानी कोर्ट कम्पाउण्ड, झाँसी
मजमून शपथ-पत्र पढ़ा गया शपथकर्ता को बताया गया
जिसे स्वीकार किया कि शपथ-पत्र कथन सत्य एवं सही है।
.... फीस तस्दीक कानूनी शुल्क
शपथ आयुक्त दीवानी. झाँसी

प्रातः 10 से 12 बजे जनता दर्शन
प्राप्त प्रार्थना पत्र
क्रमांक 545
दिनाँक 9/6/ 2025

सेवा में,

1. अध्यक्ष/आयुक्त, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी / झांसी मण्डल, झांसी।
2. जिलाधिकारी जनपद- झांसी, उ.प्र.।

विषय-: जेडीए उपाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि के आराजी संख्या का विवरण तथा सुपर इम्पोज सजरा मानचित्र सार्वजनिक नहीं करने और क्षेत्रीय पार्क की भूमि को आवासीय भू-खण्ड के रूप में क्रय-विक्रय कराने और उन भू-खण्डों पर अवैध निर्माण कराने के संबंध में,

महोदय,

विन्रम निवेदन है कि भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जेडीए उपाध्यक्ष झांसी महायोजना में आरक्षित क्षेत्रीय पार्क के आराजी संख्या का विवरण तथा सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज कर वेबसाइट अपलोड नहीं कर रहे है, जिसके कारण भू-माफियाओं क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र में पढने वाले मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 147, 148, 149, 772, 773, 757, 756, 755 आदि की भूमि को आवासीय भू-खण्ड के रूप में विक्रय किया जा रहा है और उन भू-खण्डों पर अवैध निर्माण और अवैध बोरवेल किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण और भूगर्भ जल स्तर को भारी क्षति पहुंच रही है।

जब कि शासन के शासनादेश संख्या 168/आठ-3-20-206-विविध/18टी.सी., दिनांक 19.02.2020 में निर्देश दिये गये है कि विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल तथा मार्ग भू-उपयोग से सम्बन्धित गाटा संख्या/खसरा संख्या/आराजी संख्या का विवरण तथा सजरा मानचित्र पर सुपर

P.T.O. ...8

इम्पोज करते हुए मानचित्र सम्बन्धित अधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड करते हुए जनपद स्तर के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि आराजी संख्या का विवरण तथा सुपर इम्पोज सजरा मानचित्र प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड कराने तथा उक्त भूमि को आवासीय भू-खण्ड के रूप में क्रय-विक्रय करने से रोकने और उन भू-खण्डों के अवैध निर्माणों को रोकने व हटाने हेतु शीघ्र आप अपने स्तर की आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

नोट- उक्त प्रकरण में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही न होने की स्थिति में मजबूरन माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष शिकायत की जायेगी।

दिनांक 9/6/25

संलग्न
शासनादेश 19/2/2020

प्रार्थिया
श्रीमती नीलम
महावीरनपुरा नगरा झांसी
मो० 7007561885

ANNEXURE - 2

अत्यंत महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 के आदेश
संख्या–168/आठ–3–20–206 विविध/18 टी.सी.

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2020

विषयः भू–उपयोग के विरूद्व अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के संबंध में कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं :–

"..... In view of the aforesaid backdrop, we have been taken by surprise today when it was submitted on behalf of the State Government that a meeting has been called for discussions/consultation in respect of the issue involved in this case. A letter in this regard has been issued by the Deputy Secretary, Urban and Housing Department, State of UP on 14.01.2020 to eight officers which includes Principal Secretary, Law; Additional Chief Secretary, Revenue; Principal Secretary, Stamps and Registration; Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department, Principal Secretary; Urban Development Department; Principal Secretary, Text and Registration Department; Advisor (Planning), Urban Development and Advisor (Development), Urban Development Department. The meeting is proposed to be held on 22.01.2020 under the Chairmanship of the Chief Secretary.

A bare perusal of the letter dated 14.01.2020 reveals that all the officers who have been called are not directly concerned with the issue involved herein i.e. to prevent selling part of the land to other individuals for the purpose of residence, whereas the same is for park/open space.

Moreover, the meeting so called is only for the purpose of discussion. As mentioned earlier, on numerous occasions it has been stated before us on behalf of State Government that a policy would be immediately framed and looking to the nature of the issue involved, even an interim measure by way of an ordinance shall be taken so that no encroachments are made on land earmarked for parks and green belts.

The aforesaid narration of facts and the proceedings in this case wherein statements had been made on different occasions for the purpose of ensuring that the land meant for park and green belt would be retained safely without encroachment had all been without any result. We find that ever-since the year 2014 when a representation was given to the concerning department and even during the pendency of the present case before us where many years have been passed, no concrete steps have been taken by State of Uttar Pradesh. We are sure that during this intervening period of more than five years much change must has taken place at the site and the land must have been used for different purposes by the individuals by claiming title in the property in question as having been purchased through registered sale deed. All this has happened due to the snail speed with which the respondent Government and its authorities have been proceeding.

In view of the above, we direct the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh to take a final decision,for framing a policy or amending the relevant legislation for the purpose of saving/protecting the land which is meant for park and green belt under the Urban Master Plan of the State, on or before 31st January, 2020.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh through e-mail forthwith.

List the matter on 12th February, 2020."

2– उक्त के कम में भू–उपयोग के विरूद्व अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(1) विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग भू–उपयोग से संबंधित गाटा संख्या/खसरा सख्या/आराजी संख्या का विवरण तथा राजस्व मानचित्र पर सुपर इम्पोज

Oath Commissioner
Lucknow

करते हुए मानचित्र संबंधित अभिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड करते हुए जनपद स्तर के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(2) जनपद स्तर पर संबंधित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र तथा नगर नियोजन विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय के अधिकारियों को महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के सजरा पर सुपर इम्पोज किये जाने तथा भूमि के गाटा संख्या भू–उपयोग आदि विवरण का विक्रय विलेख में अंकन के संबंध में वर्कशाप आयोजित करायी जाय।

3– अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार यथोचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :169(1)/आठ–3–20–206 विविध/18टी.सी.–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित को आदेश की प्रति संबंधित को तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

14/02/2020

Oath Commissioner Lucknow 12/03/2020 Collectorate

12/03/2020
(शम्भू प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी एवं शपथ आयुक्त
न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ)
उ० प्र० शासन

P.T.O. ...11

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक– 316 /झाँ0वि0प्रा0/2025–26 दिनांक 26/06/2025

शिकायती प्रार्थना पत्र का जांच प्रारूप

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या– [redacted] 200166250098 28

1	आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम/पता/मोबाईल नम्बर–	श्रीमती नीलम पता–वार्ड नं–6, नैनागढ महावीरन नगरा झाँसी। मो0नं0–7007561885
2	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	श्री अविनाश अग्रवाल
3	जांचकर्ता अधिकारी का नाम/पदनाम मोबाईल नम्बर–	सहायक अभियन्ता (सिविल) 9839439040
4	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
5	कार्यवाही की विस्तृत आख्या	प्रश्नगत प्रकरण में वांछित आख्या निम्नवत् है :– झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा झाँसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित मनोरंजन सुविधाओं के अन्तर्गत प्रखण्डीय पार्क, नगर पार्क, क्षेत्रीय पार्क एवं प्रस्तावित महायोजना मार्गो के आराजी संख्याओ का विवरण राजस्व ग्रामवार तैयार कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है एवं निबंधन कार्यालय के बाहर राजस्व ग्रामवार विवरण की होर्डिंग लगाई गयी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से वार्ता की गयी एवं वेबसाइट पर अपलोड करने एवं निबंधन कार्यालय पर होर्डिंग लगाये जाने की सूचना दी गयी। अतः शिकायत निक्षेपित करने योग्य है।
	शिकायतकर्ता/आवेदक की संतुष्टि विषयक टिप्पणी	
7	आवेदक/शिकायतकर्ता हस्ताक्षर	
8	आवेदक/शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर न करने की दशा में तत्समय प्रदत्त साक्ष्य	
9	गवाहों का नाम व मोबाईल नम्बर	1. 2.
10	अन्य कोई तथ्य	

24/6/2025
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

24.6.2025
नोडल अधिकारी
(आई0जी0आर0एस0)
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

P.T.O. ...12

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1285 **सन् 2024**

श्रीमती नीलम आदि **.....आवेदक**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य **.....प्रतिवादीगण**

इंडेक्स

क्र. संख्या	विवरण / ब्यौरे	पृष्ठ संख्या
01	आवेदन पत्र (APPLICATION)	
02	शासनादेश दिनांक 29.02.2020	
03	सेवा का प्रमाण (Proof of service) का शपथ-पत्र	
04		
05		

दिनांक 03.03.2025

प्रार्थी

(बी.एल. भास्कर)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1285 **सन् 2024**

श्रीमती नीलम आदि **.....आवेदक**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य **.....प्रतिवादीगण**

(पथभ्रष्ट हलफनामा दाखिल करने और आदेश के अपालन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु)

श्रीमान जी,

आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है:-

1. यह कि आवेदकगण ने उपरोक्त मूल आवेदन उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित "पहुज नदी" के निकट मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 772, 773, 757, 756, 755 आदि को वर्ष 1979 में बनायी गयी झांसी महायोजना-2001 में क्षेत्रीय पार्क विकसित करने हेतु आरक्षित किया गया था। जिसे यथावत झांसी महायोजना 2021 एवं 2031 में आरक्षित किया गया है। उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र में झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा "चार मंजिला वेंडिंग जोन" आदि के कई अवैध निर्माण कराने के साथ साथ बिल्डरों, भू-माफियाओं और स्थानीय विकासकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माणों के संबंध में प्रस्तुत किया था।

2. यह कि अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 13.11.2024 पारित किया था, जो प्रतिपक्षियों को तामील है इसके बावजूद प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अपना जवाब दाखिल नहीं करके माननीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश की जानबूझकर अवज्ञा कर रहे है।

3. यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायाधिकरण के आदेश को पूरा कराने के लिए क्षोभकर्ताओं के विरुद्ध बल प्रयोग हेतु माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्दिष्ट आदेश के बगैर प्रतिपक्षी माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का पालन एवं हलफनामा दाखिल नहीं करेगें।

P.T.O. ...14

4. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा जानबूझकर हलफनामा दाखिल नहीं करके माननीय न्यायाधिकरण का कीमती समय नष्ट करने के साथ-साथ माननीय न्यायाधिकरण की घोर अवज्ञा की जा रही है। उपरोक्त प्रतिपक्षियों के द्वारा हलफनामा दाखिल न होने से प्रकरण की अग्रीम कार्यवाही बाधित हो रही है।

5. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 7 द्वारा जानबूझकर सच्चाई छुपाने के उद्देश्य से मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 755,756, 757, 772 एवं 773 के भू-उपयोग के संबंध में झूठा, अपूर्ण अथवा भ्रामक और पथभ्रष्ट हलफनामा दाखिल किया गया है।

6. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 7 द्वारा जानबूझकर सच्चाई छुपाने के उद्देश्य से झांसी महायोजना 2021 एवं 2031 में प्रस्तावित मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 755,756, 757, 772 एवं 773 के भू-उपयोग की जानकारी नहीं दी गई है। जब कि उक्त भूमि आराजी संख्या का भू-उपयोग झांसी महायोजना 2021 एवं 2031 में क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" डूब क्षेत्र है।

7. यह कि झांसी प्रशासन एवं विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की सह पर प्रतिपक्षी संख्या 7 और अराजक तत्वों द्वारा उपरोक्त भूमि पर अवैध बोरवेल कराकर उसमें जेट पंप, समरसेबल इत्यादि स्थापित कर भूगर्भ दोहन कर लगातार अनधिकृत/अवैध निर्माण किए जा रहे है।

8. यह कि विपक्षी संख्या 6 ने उपरोक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे प्रतिपक्षी संख्या 7 और अराजक तत्वों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र की भूमि के आराजी संख्या का आज तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया है। और न ही उपरोक्त भूमि के अनधिकृत/अवैध निर्माणों को रोका एवं हटाया गया है।

जब कि माननीय न्यायाधिकरण, दिल्ली में योजित वाद संख्या-380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के पालनार्थ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये है कि **महायोजनाओं में दर्ज हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान आदि की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने एवं उनके अनाधिकृत/अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों का सर्वे कर उनके विरुद्ध तत्काल रोकने/हटाने की कार्यवाही करें** तथा महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टिका में पड़ने वाली भूमि के **आराजी संख्या, गाटा संख्या की सूची तैयार कर, उक्त सूची को जन-जागरूकता की दृष्टि से समाचार पत्रों में प्रकाशन** तथा जहां-जहां पार्क व हरित पट्टिका भूमि स्थित हो, पर होडिंग बोर्ड लगाया जाय तथा समस्त अभिकरणों द्वारा अपनी अपनी बेवसाइट पर भी अपलोड कराया जाय। उपरोक्त शासनादेश संलग्न है।

P.T.O. ...15

9. यह कि झांसी प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर उपरोक्त भूमि के अनाधिकृत/अवैध निर्माणों को रोकने व हटाने के बजाये माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना करते हुए अनाधिकृत/अवैध निर्माण करवाएं जा रहे है और इन अवैध निर्माणों का हाउस टैक्स नंबर जारी कर उन अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़क, सीवरेज इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

जबकि हाल ही में, राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद और अन्य (दिनांक 17.12.2024 को तय, सिविल अपील संख्या 14604/2024) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए व्यापक जनहित में जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिसमें कथित अनधिकृत और अवैध निर्माणों को रोकने/हटाने तथा अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, आदि की रोक लगाने के निर्देश है।

प्रार्थना

अतः विनम्र निवेदन है कि आदेश दिनांक 13.11.2024 का अनुपालन कराने के लिए बल प्रयोग हेतु या अन्य आवश्यक साधनों के प्रयोग हेतु या दंडात्मक कार्यवाही का आदेश पारित करने की कृपा करें, क्योंकि प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 को उक्त आदेश की जानकारी होने एवं नोटिस तामील होने के बावजूद माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल नहीं कर रहे है।

दिनांक 03.03.2025

प्रार्थी

(बी.एल. भास्कर)
इन्द्रा नगर, प्रेम गंज, झांसी उत्तर प्रदेश 284003
ई-मेल- blbhasker770@gmail.com
मो. 7985307216

ANNEXURE-R-1 # 134

आलेख्य

अत्यंत महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 के आदेश
संख्या—168/आठ—3—20—206 विविध/18 टी.सी.

जारी/डिस्पैच 20/03/20 प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2020

विषयः भू—उपयोग के विरूद्ध अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के संबंध में कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या—380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं :—

"...... In view of the aforesaid backdrop, we have been taken by surprise today when it was submitted on behalf of the State Government that a meeting has been called for discussions/consultation in respect of the issue involved in this case. A letter in this regard has been issued by the Deputy Secretary, Urban and Housing Department, State of UP on 14.01.2020 to eight officers which includes Principal Secretary, Law; Additional Chief Secretary, Revenue; Principal Secretary, Stamps and Registration; Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department, Principal Secretary; Urban Development Department; Principal Secretary, Text and Registration Department; Advisor (Planning), Urban Development and Advisor (Development), Urban Development Department. The meeting is proposed to be held on 22.01.2020 under the Chairmanship of the Chief Secretary.

A bare perusal of the letter dated 14.01.2020 reveals that all the officers who have been called are not directly concerned with the issue involved herein i.e. to prevent selling part of the land to other individuals for the purpose of residence, whereas the same is for park/open space.

Moreover, the meeting so called is only for the purpose of discussion. As mentioned earlier, on numerous occasions it has been stated before us on behalf of State Government that a policy would be immediately framed and looking to the nature of the issue involved, even an interim measure by way of an ordinance shall be taken so that no encroachments are made on land earmarked for parks and green belts.

The aforesaid narration of facts and the proceedings in this case wherein statements had been made on different occasions for the purpose of ensuring that the land meant for park and green belt would be retained safely without encroachment had all been without any result. We find that ever-since the year 2014 when a representation was given to the concerning department and even during the pendency of the present case before us where many years have been passed, no concrete steps have been taken by State of Uttar Pradesh. We are sure that during this intervening period of more than five years much change must has taken place at the site and the land must have been used for different purposes by the individuals by claiming title in the property in question as having been purchased through registered sale deed. All this has happened due to the snail speed with which the respondent Government and its authorities have been proceeding.

In view of the above, we direct the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh to take a final decision for framing a policy or amending the relevant legislation for the purpose of saving/protecting the land which is meant for park and green belt under the Urban Master Plan of the State, on or before 31st January, 2020.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh through e-mail forthwith.

List the matter on 12th February, 2020."

2— उक्त के क्रम में भू—उपयोग के विरूद्ध अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :—

(1) विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग भू—उपयोग से संबंधित गाटा संख्या/खसरा संख्या/आराजी संख्या का विवरण तथा सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज

12
135

करते हुए मानचित्र संबंधित अभिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड करते हुए जनपद स्तर के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(2) जनपद स्तर पर संबंधित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र तथा नगर नियोजन विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय के अधिकारियों को महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के सजरा पर सुपर इम्पोज किये जाने तथा भूमि के गाटा संख्या भू–उपयोग आदि विवरण का विक्रय विलेख में अंकन के संबंध में वर्कशाप आयोजित करायी जाय।

3– अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार यथोचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :168(1)/आठ–3–20–206 विविध/18टी.सी.–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित को आदेश की प्रति संबंधित को तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

P.T.O. ...18

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1285 **सन् 2024**

श्रीमती नीलम आदि **......आवेदक**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य **......प्रतिवादीगण**

शपथ-पत्र

शपथकर्ता मिनजानिब- बी.एल. भास्कर निवासी-इन्द्रा नगर, प्रेम गंज, झांसी उत्तर प्रदेश 284003

मैं बी.एल. भास्कर शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं:-

1. यह कि शपथकर्ता मूल आवेदन (OA NO. 1285/2024) में आवेदक संख्या 2 है।
2. यह कि शपथकर्ता ने आवेदक संख्या 1 के साथ मिलकर उपरोक्त मूल आवेदन प्रेषित/दायर किया गया है तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हूं तथा यह शपथ पत्र देने के लिए सक्षम हूं।
3. यह कि उपरोक्त मूल आवेदन में पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के अनुपालन में आवेदक ने अपने ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादीगण के कार्यालय के ई-मेल पते पर नोटिस भेजकर विधिवत तामील करा दिया है। जो संलग्न है।
4. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 7 द्वारा जानबूझकर सच्चाई छुपाने के उद्देश्य से मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 755,756, 757, 772 एवं 773 के भू-उपयोग के संबंध में झूठा, अपूर्ण अथवा भ्रामक और पथभ्रष्ट हलफनामा दाखिल किया गया है।
5. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 7 द्वारा जानबूझकर सच्चाई छुपाने के उद्देश्य से झांसी महायोजना 2021 एवं 2031 में प्रस्तावित मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 755,756, 757, 772 एवं 773 के भू-उपयोग की जानकारी नहीं दी गई है। जब कि उक्त भूमि आराजी संख्या का भू-उपयोग झांसी महायोजना 2021 एवं 2031 में क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" डूब क्षेत्र है।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूं कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 03.03.2025 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

दिनांक 03 .03.2025

शपथकर्ता/आवेदनकर्ता

(बी.एल. भास्कर)

Serial No. 1185/25
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at ....
by Shri/Smt./Km. B.L. Bhaskar
to whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by Shri ...... Self
Received the legal fee Rs. 10

Ravindra Kumar Pathak
Advocate
Notary Govt. of India, JHANSI

Notice for the applicant in Original Application No. 1285/2024 Smt. Neelam & Anr. Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

4 messages

B. l.Bhaskar Manke <blbhasker770@gmail.com> Mon, Nov 25, 2024 at 14:12
To: feedback@uppcb.com, chairman@uppcb.in, ms@uppcb.in, jda_jhansi@rediffmail.com, nagarayukta@jnnjhansi.com

To

1. Chairman, Uttar Pradesh Pollution Control Board TC-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Email: feedback@uppcb.com
chairman@uppcb.in
ms@uppcb.in

2. Vice Chairman, Jhanshi Vikas Pradhikaran, Jhanshi Office Jhanshi Vikas Pradhikaran, Jhanshi, U.P.-284003 Email: jda_jhansi@rediffmail.com

3. Municipal Commissioner, Nagar Nigam Jhanshi Office, Nagar Nigam Jhanshi-284001 Email: nagarayukta@jnnjhansi.com

Notice

Notice Subject- Urgent/Necessary Delevery of Notice Issued by HON'BLE National Green Tribunal, new delhi Vide Order Dated 13.11.2024

Reference- Before National Green Tribunal, new delhi O.A No 1285/2024 Smt. Neelam & Anr. Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir
As per direction of Hon'ble NGT new delhi vide order dated 13-11-2024. I am hereby serving you the Notice. Along with the notice Following documents are annexed for your kind action and perusal.
1. Copy of Vide Order Dated-13-11-2024.
2. True Copy of O.A. 1285/2024.
3. Copy of notice dated 22.11.2024

Thanking you.

Applicant
BL BHASKAR
INDRA NAGAR, PAREM GANJ JHANSI, UP 284003
MO. 7985307216
EMAIL- blbhasker770@gmail.com

GPS Map Camera
झाँसी, उत्तर प्रदेश, India
Fg5g+f7g, आला घाट, राजघाट कॉलोनी, झाँसी, उत्तर प्रदेश 284003, India
Lat 25.458606° Long 78.52575°
04/07/2025 12:28 PM GMT +05:30
Google

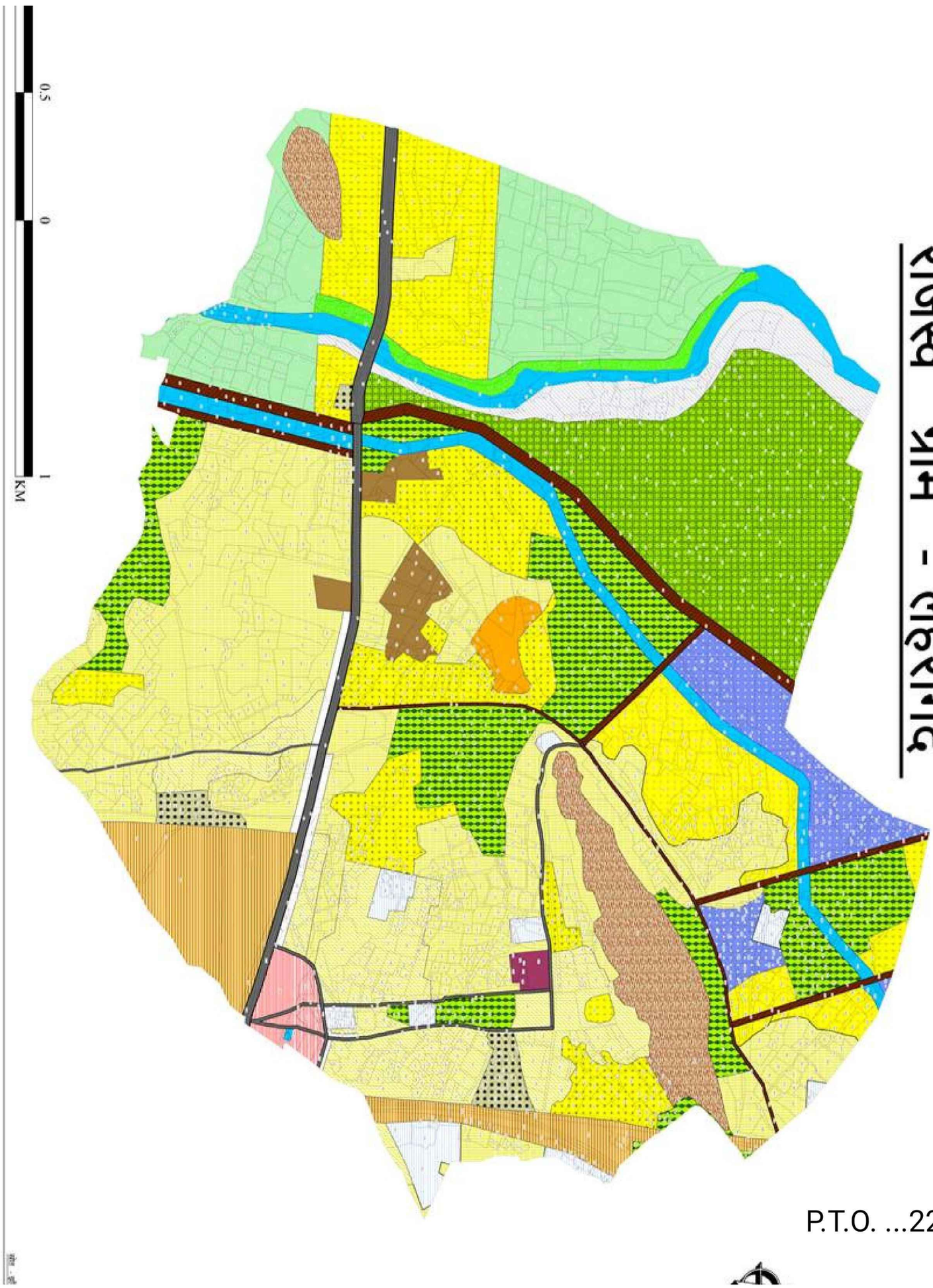

राजस्व ग्राम - लहरगिर्द

P.T.O. ...22

राजस्व ग्राम - सिमरधा

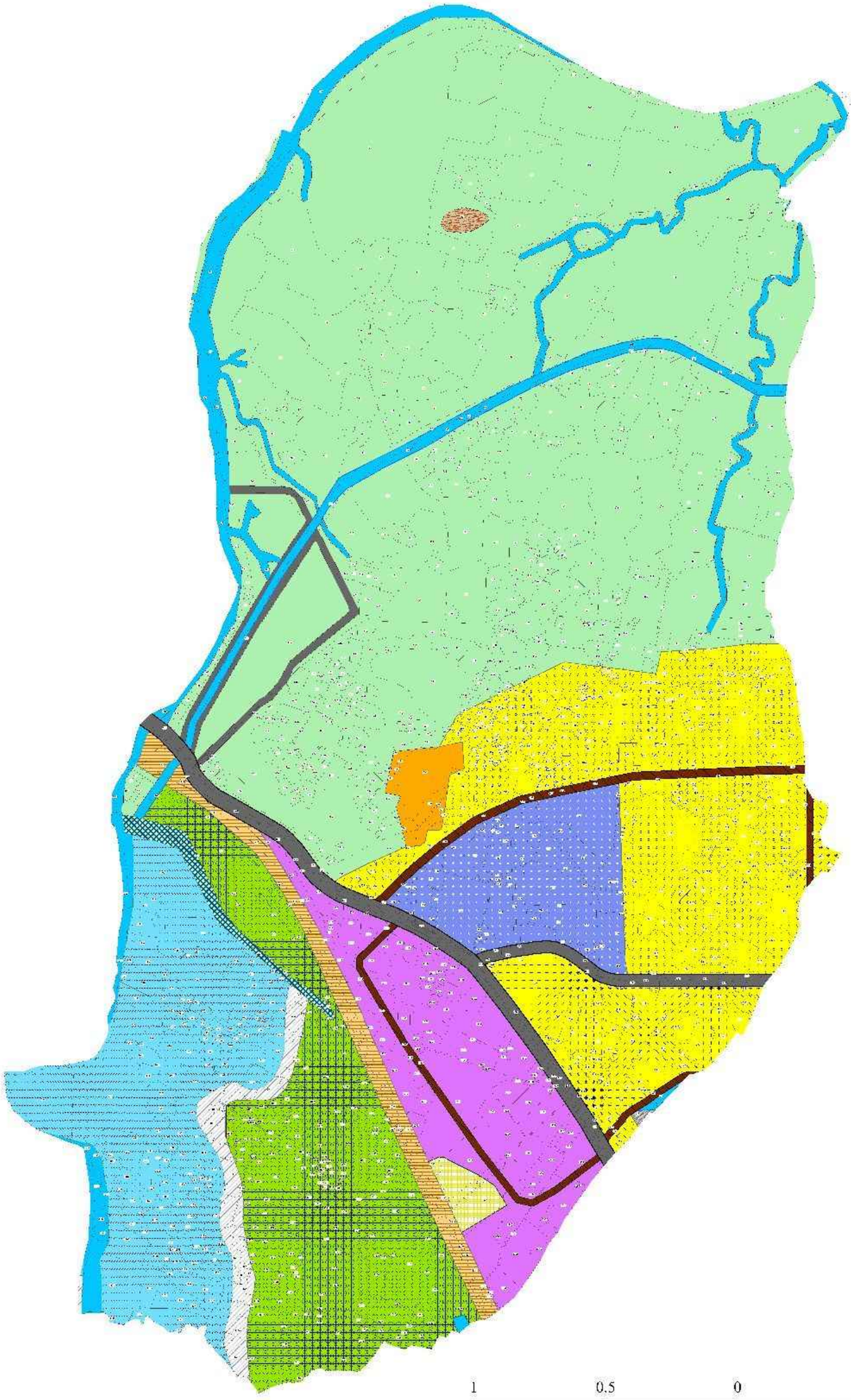

- झाँसी महायोजना 2021